

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साअधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	आश्विन 25, गुरुवार, १९४१-अक्टूबर 17, 2019 <i>Asvina 25, Thursday, Saka 1941-October 17, 2019</i>	

भाग-1(क)

नियुक्तियों छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियां ।

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 15, 2019

संख्या एफ. 12(15) सह./2019 :-अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों के निर्वहन में इसकी सहायता करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त करती है, अर्थात्:-

1. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) सहकारी सोसाइटी, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी।
3. समस्त उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, संबंधित जिला।

राज्यपाल के आदेश से,

नारायण सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

Cooperative Department

Notification

Jaipur, October 15, 2019

F.12(15)coop/2019 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (Central Act No. 21 of 2019), the State Government hereby appoints the following officers to assist the Competent Authority, in discharging its functions under the said Act, namely:-

1. Additional Registrar (Banking) Cooperative Societies, Rajasthan, Jaipur.
2. All Additional Registrars, Cooperative Societies.
3. All Deputy Registrars, Cooperative Societies, Related District.

By Order of the Governor,

Narayan Singh,

Joint Secretary to the Government.